

कार्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ

फार्मसी पाठ्यक्रम की काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में सूचना/नोटिस

समस्त अभ्यर्थियों को सूचित कराया जाता है कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2025 जिसके द्वारा फार्मसी पाठ्यक्रम की काउन्सिलिंग को निरस्त किया गया था, के विरुद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एस०एल०पी०(सी०)-21757/2025 उ०प्र० राज्य बनाम राम नैवाज सिंह कालेज ऑफ फार्मसी, अयोध्या योजित की गई। दिनांक 18.09.2025 को पारित आदेश में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2025 को निरस्त कर दिया गया, जिसके समादर में फार्मसी पाठ्यक्रम की काउन्सिलिंग जो कि प्रथम चरण की काउन्सिलिंग प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी, उसको यथावत् रखते हुए द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग प्रक्रिया दिनांक 25.09.2025 से प्रचलित है।


सचिव